Compensation of Crops Damaged Due to Flood

***10 Sh. SHISHPAL SINGH KEHARWALA , M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

a) the total number of people who have got registration on the compensation portal for their losses after the flood in State togetherwith the details of the fields, animals and houses separately;

b) the basis on which the abovesaid compensation have been fixed togetherwith the amount thereof; and

c) the number of people who have been given compensation and the number of people whose compensation amount are lying pending togetherwith the number of people whose registration for compensation has been cancelled alongwith the time by which the compensation is likely to be given to the remaining people; and

d) the details of district Sirsa in respect of abovesaid matter?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Sir, a total number of 1,34,310 applications, in all, were received towards compensation, on account of damage to crops (except cotton crop). 383 applications towards compensation on account of loss of animals were received and 7504 applications were received towards compensation on account of damage of houses due to floods that occurred during July, 2023 on the e-kshatipurti portal in the State.

b&c) The claims for compensation have been assessed as per the prevalent State Government norms, after due verification. The relevant portion of the norms is annexed at Annexure 'A'. The Government has sanctioned the compensation of Rs. 5,78,60,500/- towards 4,768 claims of animal losses and house damages through DBT out of which 574 claims could not be disbursed to the beneficiaries accounts due to technical error (inactive Aadhar particulars/bank account errors) which will done once the errors are rectified.So far as the loss of crops is concerned, an amount of Rs.97,93,25,839/-has been assessed for compensation as per State norms (including Rs.7000/-per acre for re-sown area),which is being released through DBT.

d) As far as Sirsa District is concerned, Rs.3,55,000/- was sanctioned as compensation against 14 applications on account of house damage claims, after due verification. As far as the compensation towards crop damage is concerned, 1,242 claims were received and after due verification and as per the prevalent State Government norms, an amount of Rs.3,20,20,574/- has been assessed, and the same is being released.

Annexure 'A'

State Government norms for Crop Damage, Animal Loss and House Damage for assessing the compensation for Floods 2023

Norms of assistance for Crop Damage:-

Extent of Damage	Norms of assistance
≥ 25 to < 33 %	**Rs. 9000/- per acre** (Wheat, paddy, cotton and sugarcane) **Rs. 7000/- per acre** (Mustard and other Crops)
≥ 33 to < 50 %	**Rs. 9000/- per acre** (Wheat, paddy, cotton and sugarcane) **Rs. 7000/- per acre** (Mustard and other Crops)
≥ 50 to < 75 %	**Rs. 12000/- per acre** (Wheat, paddy, cotton and sugarcane) **Rs. 9000/- per acre** (Mustard and other Crops)
≥75 and above	**Rs. 15000/- per acre** (Wheat, paddy, cotton and sugarcane) **Rs. 12500/-per acre** (Mustard and other crops.

In case of re-sown area, the compensation is being provided at the rate of Rs. 7,000 per acre.

Norms of assistance for houses damage

(a)	Fully damaged/ destroyed Houses and Severely damaged houses (Pucca and Kutcha house)	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas
(b)	Partially damaged Houses (other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 10,000/- per Pucca house Rs. 5,000/- per Kutcha house
(c)	Damaged /Destroyed huts	Rs. 8,000/- per hut (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/District authorities.)
d)	Cattle shed attached with house	Rs. 3,000/- per shed

Norms of Assistance for animal loss

Assistance for the loss of Milch Animals, draught animals or animals used for haulage	**Milch Animals** **Rs. 37,500/-Buffalo/Cow/Camel/Yak/Mithun etc.** **Rs. 4000/-Sheep/Goat/Pig** **Draught Animals** **Rs.32,000/-Camel/Horse/Bullock etc.** **Rs. 20,000/-Calf/Donkey/Pony/Mule/Heifers** The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals due to notified natural calamity and will be subject to a ceiling of 3 large milch animals and/or 30 small milch animals or 3 large draught animals and/ or 6 small draught animals per household irrespective of whether a household has lost a large number of animals.(Claims for loss of animals will be considered only if number and type of animals owned by Small and Marginal Farmers/Landless Livestock Owners are registered with local/designated authorities. **Poultry** @Rs. 100 per bird subject to a ceiling of an assistance of Rs. 10,000/-per beneficiary household.

क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित ब्यौरा

***10 श्री शीशपाल सिंह केहरवाला (कालांवली)**

क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) राज्य में बाढ के पश्चात क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने हुए नुकसान के लिए कुल कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है तथा खेतों, पशुओं तथा घरों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

ख) उपरोक्त मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया गया है तथा उसकी राशि कितनी है;

ग) कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है तथा कितने लोगों का मुआवजा लंबित है तथा कितने लोगों के मुआवजे के लिए पंजीकरण रद्द किया गया तथा शेष लोगों को मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है; तथा

घ) उपरोक्त मामले के संबंध में सिरसा जिले का ब्यौरा क्या है ?

श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) महोदय, फसलों (कपास की फसल को छोड़कर) को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए कुल 1,34,310 आवेदन प्राप्त हुए थे। राज्य में जुलाई, 2023 के दौरान आई बाढ के कारण ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पशु हानि के 383 आवेदन तथा आवास क्षति के 7504 आवेदन मुआवजे के लिए प्राप्त हुए।

ख व ग) मुआवजे के दावों का मूल्यांकन सत्यापन उपरान्त राज्य सरकार के प्रचलित मानदंडों अनुसार या गया हैं । मानदंडों का प्रासंगिक भाग अनुलंग्नक 'क' पर संलग्न है। सरकार द्वारा पशु हानि व आवास क्षति के 4,768 दावों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 5,78,60,500/-रूपये की राशि का भुगतान किया गया, जिनमें से 574 दावों को तकनीकी त्रुटि (निष्क्रिय आधार विवरण/बैंक खाता त्रुटियां) के कारण मुआवजा लाभार्थियों के खातों में वितरित नहीं किया जा सका, जो त्रुटियां दूर होने उपरांत किया जाएगा। जहां तक फसलों के नुकसान का सम्बन्ध है, राज्य के मानदंडों अनुसार (पुनः बोए गए क्षेत्र के लिए 7,000/-रूपये प्रति एकड़ सहित) 97,93,25,839/-रूपये की मुआवजा राशि का आंकलन किया गया है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

घ) जहां तक सिरसा जिले का सम्बन्ध है, आवास क्षति के 14 दावों का सत्यापन करने उपरान्त 3,55,000/-रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी। फसल क्षति के मुआवजे के सम्बन्ध में 1242 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा सत्यापन उपरांत सरकार के मानदंडों अनुसार3,20,20,574/-रूपये की मुआवजा राशि जारी की जा रही है।

अनुलंग्नक 'क'

बाढ 2023 से फसलों को हुए नुकसान, पशु हानि तथा आवासीय क्षति हेतू मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार के नार्मज

फसलों के नुकसान के लिए मानदंड

खराबा	**नार्मज**
≥ 25 से < 33% तक	9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)
≥ 33 से < 50% तक	9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)
≥ 50 से < 75% तक	12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 9000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)
≥ 75 से अधिक	15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 12500/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)

पुनः बीजित क्षेत्र के मामले मे मुआवजा 7000/- रूपये प्रति एकड प्रदान किया जा रहा है।

आवासीय क्षति की सहायता हेतू मानदण्ड

क	पूरी तरह से क्षतिग्रस्त/ नष्ट मकान और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान (पक्के और कच्चे मकान)	मैदानी क्षेत्रों में रु 1,20,000/- प्रति घर
ख	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर (झोपड़ियों के अलावा) जहां क्षति कम से कम 15% है।	रु. 10,000/- प्रति पक्का मकान रु. 5,000/- प्रति कच्चा मकान
		रु. 6,500/- प्रति घर रु. 4,000/- प्रति कच्चा घर
ग	क्षतिग्रस्त/ नष्ट झोपड़ियाँ	रु. 8,000/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का अर्थ है अस्थायी, अस्थायी इकाई, कच्चे घर से निम्नतर, छप्पर, मिट्टी, प्लास्टिक शीट आदि से बनी, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य/ जिला अधिकारियों द्वारा झोपड़ी के रूप में मान्यता दी जाती है)
घ	घर से जुड़ा पशु शेड	रु. 3,000/- प्रति शेड

पशु हानि की सहायता हेतू मानदण्ड

दुधारू पशुओं, गैर दुधारी पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई हेतू सहायता	**<u>दुधारू पशु</u>** 37500/- रूपये भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन आदि के लिए 4000/- रूपये भेड/बकरी/सूअर के लिए **<u>गैर दुधारू पशु</u>** 32000/- रूपये ऊँट/घोडा/बैल आदि के लिए 20000/- रूपये बछडा/गधा/टट्टू/खच्चर/हेफर आदि के लिए सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं के वास्तविक नुकसान तक हो सकती है और यह 3 बडे दुधारू पशुओं और/या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 3 बडे गैर दुधारू पशुओं और/या 6 छोटे गैर दुधारू पशुओं की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी तथा इस बात पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जायेगी कि किसी परिवार की भारी मात्रा मे पशुओं की क्षति हुई है अथवा नही। जानवरों के नुकसान के दावें पर तभी विचार किया जायेगा जब छोटे और सीमान्त किसानों/भूमिहीन पशुधन मालिकों के स्वामीत्व वाले जानवरों की संख्या और प्रकार स्थानीय/ नामित अधिकारियों के पास पंजीकृत हो।)

	<u>मुर्गी पालन</u> प्रति लाभार्थी परिवार को 10000/- रूपये की सहायत की सीमा के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतू प्रति पक्षी 100/- रूपये कुक्कुटों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए।